उत्तरांचल शासन
न्याय अनुभाग–1

संख्या 1205 /XXXVI (1)/2006–563/01
देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल द्वारा सम्पन्न किये जा रहे न्यायिक अधिकारियों/विहित अधिकारियों/विधायी कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/शासकीय अधिवक्ताओं तथा लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण एवं न्याय प्रशासन और विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य/अन्य संवर्ग के अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा विभिन्न प्रकृति के शोध कार्य संगोष्ठी कार्यशाला को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पद को ग्रहण किये जाने की तिथि से सवैतनिक/पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद का सृजन किये जाने हेतु माहमहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अध्यक्ष के पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश/उत्तरांचल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे, जो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का मार्गदर्शन देने के साथ–साथ प्रशिक्षण कार्य, शोध कार्य, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि को भी नियंत्रित करेंगे।

3. अध्यक्ष के पद की सेवा शर्तें निम्नवत् होंगी :–

(1) अध्यक्ष पद के धारक का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से केवल एक बार के लिए पांच वर्ष तक होगा और पद पूर्णकालिक होगा।

(2) पुनर्नियोजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो उनकी शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को सम्मिलित करते हुए अन्तिम आहरित वेतन अथवा पुर्ननियोजन पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(3) इस प्रकार निर्धारित वेतन शुद्ध पेंशन की धनराशि के योग पर मंहगाई भत्ता आदि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य निर्देशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा, परन्तु उक्त पद पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में उन्हें पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(4) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनर्नियोजन पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार समय–समय पर उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यथा अनुमन्य सुविधायें और विशेषाधिकार यथा वाहन सुविधा, किराया मुक्त सुसज्जित आवास/मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा की रियायत यात्रा भत्ता, नियत तथा देय दैनिक भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अवकाश अनुमन्य होगा।

(5) यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिए वह स्वयं ही नियंत्रक अधिकारी होगें।

(6) पुनर्नियोजन के सेवाकाल को पेंशन की अवधि की गणना के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा और उन्हें इस पद का कार्यभार ग्रहण करने और पदावधि की समाप्ति पर वापस जाने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) एच0ओ0आर0 की सुविधा अनुमन्य होगी।

4. इस संबंध में होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–09–उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 719/XXXVI (5)/06दिनांक 05.12.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव

संख्याः 1205 (1)/XXXVI (1)/2006–563/01 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
(2) महानिबन्धक, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।
(3) निदेशक, उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
(4) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरांचल।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
(7) वित्त अनुभाग–5/नियुक्ति अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव।